संख्या- 19/2020/180/छप्पन-2020-07/2018 TC

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 06 मार्च, 2020

विषय: आर0सी0एस0 एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं के भुगतान हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 693/ना0उ0नि0/2020 दिनांक 31 जनवरी, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आर0सी0एस0 स्कीम में चयनित कानपुर एयरपोर्ट से संचालित उड़ानों के लिए प्रदान की गयी सुरक्षा/ अग्निशमन सेवाओं हेतु निम्नलिखित विवरण अनुसार बकाया धनराशि रु0 1,21,99,658/- (रूपए एक करोड़ इक्कीस लाख निन्नानबे हजार छ: सौ अट्ठावन मात्र) के बिल का भुगतान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को किए जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है:-

एयरपोर्ट	समय अवधि	सेवा	धनराशि (रूपए में)
कानपुर	अक्टूबर, 2019 - नवम्बर, 2019	सुरक्षा / अग्निशमन सेवा	1,21,99,658

2- भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को भारत सरकार, राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य निष्पादित एम0ओ0यू0 के प्रस्तर- 4.2.2(c) के प्राविधान के अनुसार आर0सी0एस0 हवाईअड्डों पर सुरक्षा तथा अग्निशमन सम्बन्धी सेवायें राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जानी हैं|

अत: श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में एम0ओ0यू0 के प्राविधानों के अनुरूप आर0सी0एस0 स्कीम में चयनित कानपुर एयरपोर्ट पर प्रदान की गयी सुरक्षा/ अग्निशमन सेवाओं हेतु उक्त विवरण अनुसार बकाया धनराशि रु0 1,21,99,658/- (रूपए एक करोड़ इक्कीस लाख निन्नानबे हजार छ: सौ अट्ठावन मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रु0 1,21,99,658/- (रूपए एक करोड़ इक्कीस लाख निन्नानबे हजार छ: सौ अट्ठावन मात्र) अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

I. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में संबंधित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/ प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा|

II. धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा|

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

III. स्वीकृत धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

IV. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

V. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखा-लेखाशीर्षक "3053-नागर विमानन-01 हवाई सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-42 अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा|

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- ई-7-259/दस-2020, दिनांक 05 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

पृ0सं0: 19/2020/180(1)/छप्पन-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।

5- निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003.

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।